Ph.No. 0151 - 2540028 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

।पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्।

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. Vishnu Sharma
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 146/2020

श्री निशांत चुघ
पुत्र श्री दीवान चन्द चुघ
वार्ड नं. 07,बस स्टेण्ड के पास,
अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 19.10.2020
अपील में निर्णय की दिनांक 05.01.2021

निर्णय

अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रथम अपील मूल आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2020 के माध्यम से कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गई सूचना समयावधि में उपलब्ध नही कराने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2020 प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। जिस पर कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी अपने पत्रांक F(1141)/RAJUVAS/Reg,./RTI/2020/448 दिनांक 07.12.2020 से आवेदक को प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के उक्त वर्णित पत्र दिनांक 07.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना का विवरण निम्नानुसार है :–

क.सं.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर/सूचना
1.	निदेशक कार्य (भू.अ .)राजुवास,बीकानेर में अधिनस्थ या निर्गत संविदा आधार पर कितने पद सृजित है।	आपके आवेदन पत्र में उल्लेखित बिन्दू संख्या 01 से 07 के संबंध में लेख है कि आप द्वारा वांछित सूचना की विशिष्टियां अंकित नहीं की गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(बी)के अनुसार आवेदक द्वारा सूचना के संबंध में पूर्ण विशिष्टियां अंकित की जानी आवश्यक है। माननीय राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या 492/2013 राजेश निगम बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी,निदेशक (विधि) जयपुर नगर निगम में पारित निर्णय दिनांक 3.3.15 से भी यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 6 (1)(बी) अनुसार विशिष्टियां अंकित की जानी आवश्यक है। माननीय राजस्थान सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय आपके प्रकरण में पूर्णतया प्रासंगिक है। अतः आवेदन पत्र में उल्लेखित बिन्दू संख्या 01 से 07 तक की सूचनाओं की विशिष्टियों के अभाव में सूचना उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है।
2.	उक्त वर्णित पद सृजन हेतु जारी निविदा सूचना की प्रतिलिपि।	
3.	उक्त वर्णित पद सृजन हेतु जारी निविदा सूचना प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रतिलिपि, मय समाचार पत्र प्रतिदिन प्रकाशित प्रति संख्या।	
4.	उक्त वर्णित पद सृजन हेतु जारी निविदा की निविदा प्रपत्र की प्रतिलिपि भरे जाने से पूर्व या भरे जाने के पश्चात 3 श्रेष्ठ प्राप्त निविदाओं प्रपत्रों की प्रतिलिपि।	
5.	उक्त वर्णित पद सृजन हेतु जारी निविदा प्राप्त होने के बाद समस्त निविदाओं की तुलनात्मक तालिका नोटशीट व निविदा योग्यता हेतु मांगी गई योग्यताओं की प्रतिलिपि।	

6.	उक्त वर्णित पद सृजन हेतु जारी निविदा के कार्य आदेश की प्रतिलिपि।	
7.	उक्त वर्णित संविदा पद अनुबंध की प्रतिलिपि।	
8.	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7–ए(1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी का पूर्ण नाम पता फोन नं.।	बिन्दू संख्या 8 के संबंध में लेख है कि माननीय कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिजय भवन पैलेस, पं. दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर पिन–334001 (राज.) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक एफ (अ–146/20)VCS/RAJUVAS/RTI/2020/457 दिनांक 18.12.2020 के द्वारा अपील में सुनवाई हेतु अपीलार्थी को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। आज सुनवाई दिनांक 05.01.2021 को अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर लिखित कथन प्रस्तुत किया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवायी जाकर पत्र दिनांक 07.12.2020 द्वारा गोल–मोल प्रत्युत्तर दिया गया है। अपीलार्थी ने निवेदन किया कि वांछित सूचना उपलब्ध करायी जावें। दौरान सुनवाई कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की और से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र दिनांक 07.12.2020 के द्वारा आवेदक को सूचना/प्रत्युत्तर प्रेषित कर दिया गया है। अतः अपील निरर्थक हो चुकी है। उक्त तथ्य के मध्यनजर प्रत्यर्थी पक्ष में अपील को खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का मनन् किया एवं अभिलेख का परिशीलन किया। उक्त वर्णित तथ्यों, तर्को, संबधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना उपलब्धता एवं संधारण अनुसार आवेदक को दिलाया जाना न्यायोचित होगा। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के आवेदन का पुनः परीक्षण कर आवेदन में वांछित सूचना संधारण एवं उपलब्धता के आधार पर आवेदक/अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध कराई जाए। आवेदक द्वारा वांछित सूचना की अनुपलब्धता एवं संधारित न होने की स्थिति में तद्नुसार आवेदक/अपीलार्थी को नियमानुसार प्रत्युत्तर प्रेषित किया जावे। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

5/1/21

(डॉ. विष्णु शर्मा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर